सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्‌वारा प्रकाशित

संख्या - 15 राँची, बुधवार 3 ज्येष्ठ, 1937 (श०) / 24 मई, 2017 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

भाग 1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। 380-406

भाग 1–क–स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

भाग 1–ख--मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्‌वारा

भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्‌वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग 3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

पृष्ठ

भाग-4–झारखण्ड अधिनियम

भाग-5–झारखण्ड विधान-सभा में पुरःअस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7–संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9- विज्ञापन ---

भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं

भाग-9-ख–निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक-- ... ...

पूरक "अ" ... ...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

19 अप्रैल, 2017 ई० |

संख्या-01स्था०-03/2017-910/वि०स०-- सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद-187 के खण्ड-3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीया राज्यपाल, झारखण्ड, माननीय अध्यक्ष झारखण्ड विधान सभा के परामर्श से झारखण्ड विधान सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2003 का संशोधन करते हुए संलग्न नियमावली" झारखण्ड विधान सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) संशोधित नियमावली, 2017 बनायी जाती है |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची |

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड 3 के अधीन प्रद्त्र शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल, झारखण्ड, माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के परामर्श से झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियमावली 2003 में निम्नांकित संशोधन करते हैं -

1- संक्षिप्त नाम:

(i) यह नियमावली झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्ते) संशोधन नियमावली 2017 कहलाएगी ।

(ii) यह नियमावली झारखण्ड राज्य के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी ।

2- परिभाषाए- इस नियमावली में जब तक कोई बात विषय या प्रसंग के विरूद्ध न हो

(i) "**संविधान**" से तात्पर्य है भारत का संविधान,

(ii) " **वित्त मंत्रालय**" से तात्पर्य है झारखण्ड सरकार का योजना सह वित्त विभाग,

(iii) " **पदाधिकारी**" से तात्पर्य है झारखण्ड विधान-सभा के कर्मचारीवृन्द

(iv) " **अनुसूची**" से तात्पर्य है इस नियमावली में संलग्न अनुसूची,

(v) " **अध्यक्ष**" से तात्पर्य है झारखण्ड विधान-सभा अध्यक्ष,

(vi) "**सचिव**" से तात्पर्य है झारखण्ड विधान-सभा सचिव या इस पद के दायित्वों का निर्वाह कर रहा पदाधिकारी,

(vii) **" सचिवालय** "से तात्पर्य है झारखण्ड विधान-सभा का सचिवालय,

(viii) "**समूह-क, समूह-ख, समूह-ग एवं समूह-घ के पदाधिकारी से**" से तात्पर्य है अनूसची मे यथा निर्दिष्ट **समूह-क, समूह-ख, समूह-ग एवं समूह-घ** का पद धारण करने वाला कोई पदाधिकारी,

(ix) "**पदवर्ग समिति**" से तात्पर्य है सभा सचिवालय के कर्मचारीवृन्द के वेतन, भर्ते तथा अन्य सुविधाओं सम्बन्धी निर्णय लेने हेतु माननीय अध्यक्ष द्वारा गठित समिति,

(x) "**सभा सचिवालय नियुक्ति समिति**" से तात्पर्य है सभा सचिवालय में रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु गठित समिति,

(xi) "**सीमित प्रतियोगिता परीक्षा**" से तात्पर्य है सभा सचिवालय में कार्यरत **समूह-घ** के कर्मचारियों की **समूह-ग** में प्रोन्नति तथा **समूह-ग** के कर्मचारियों का **समूह-ग** के, अन्य पदों में प्रोन्नति हेतु ली जाने वाली परीक्षा,

(xii) "**विभागीय परीक्षा**" से तात्पर्य है सहायक संवर्ग में सहायक के पद से प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु परीक्षा

(xiii) "**वित्तीय समितियों**" से तात्पर्य है विधान-सभा की प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ।

3- **सभा सचिवालय में पद संख्या और उसका गठन** :

भारत के संविधान का अनुच्छेद 187 के अनुसरण में झारखण्ड विधान-सभा का एक सचिवालय होगा, जिसमें-

(i) उतने स्थायी तथा अस्थायी पद होगें जो अनुसूची में दर्शाए गए है,

(ii) अध्यक्ष, समय-समय पर अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या बढ़ाकर या घटा कर अथवा पद या पदों की कोई नयी कोटि जोड़कर उक्त अनुसूची का संशोधन कर सकेंगे, परन्तु अध्यक्ष, पद वर्ग समिति की अनुशंसा के बिना अनुसूची में कोई संशोधन नहीं करेंगे ।

4- **भर्ती की पद्धति** :

(i) किसी पद या पदों की किसी श्रेणी में निम्न किसी भी पद्धति से भर्ती की जा सकेगी-

(क) सचिवालय में नियोजित व्यक्ति की प्रोन्नति द्वारा ,

(ख) सीधी भर्ती द्वारा,

(ii) अध्यक्ष, समय-समय पर आदेश द्वारा

(क) किसी पद पर या पदों को किसी श्रेणी में भर्ती की पद्धति या पद्धतिया विनिर्दिष्ट कर सकेंगे, परन्तु अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वे आवश्यतानुसार सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया अथवा चयन प्रक्रिया के किसी अंश को झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग /किसी वाह्य एजेंसी से सम्पादित करा सकेंगे ।

(ख) हर पद्धति से भरी जानेवाली रिक्यिों का अनुपात अनुसूची के अनरूप अवधारित कर सकेंगे,

(ग) विलोपित

(घ) राज्य सरकार के असैनिक सचिवालय के समरूप कर्मचारीवृन्द को न्यूनतम कालावधि पूरी करने पर प्रोन्नति के पात्र होंगे ।

5- **नियुक्ति तथा प्रोन्न्ति हेतु परीक्षा** :

(i) अनुसूची में यथानिर्दिष्ट पदों पर सीधी नियुक्तिया" सभा सचिवालय नियुक्ति समिति" की अनुशंसा पर अध्यक्ष करेंगे,

सभा- सचिवालय नियुक्ति समिति का गठन अध्यक्ष करेंगे तथा सभा सचिवालय कर्मचारीवृन्द से समिति के सदस्यों का मनोनयन अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा तथा इस समिति में सभापति सहित अधिकतम पाँच सदस्य होंगे, सभा सचिव उक्त समिति के पदेन सभापति होंगे ।

(ii) (क) सहायक एवं निजी सहायक के पदों पर सीधी नियुक्ति के निमित आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा हेतु सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा का विषय निम्न होंगेः-

(i) प्रारंभिक परीक्षाः-01. सामान्य अध्ययन, 02. सामान्य विज्ञान एवं गणित, 03. मानसिक क्षमता जाँच, 04. कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान

(ii) मुख्य परीक्षाः- पत्र 01.- हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा का ज्ञान पत्र 02.- सामान्य ज्ञान, गणित, मानसिक क्षमता जाँच एवं कम्प्यूटर के मूल ज्ञान

(ख) निजी सहायक के पद पर भर्ती हेतु लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का आशुलेखन एवं टंकण परीक्षा निम्नलिखित रूप में आयोजित की जायेगीः-

आशुलेखन जाँच हेतु 320 शब्दों को 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 4 मिनट तक श्रुतिलेख दिया जायेगा । इसके पूर्व एक मिनट का समय डिक्टेशन जाँच हेतु दिया जायेगा। श्रुतिलेख टंकित करने हेतु 20 मिनट का समय दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को टंकण आरंभ करने के पूर्व 02 मिनट का समय श्रुतिलेख पढ़ने के लिए दिया जायेगा । श्रुतिलेख के टंकण की शुद्धि टंकण हेतु निर्धारित समय के अन्तर्गत ही करनी होगी । श्रुतिलेख के टंकण में उत्तीर्ण होने के लिए 10 प्रतिशत से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जायेगा ।

(ग) सभा सचिवालय में उपाधीक्षक, चर्य्यालिपिक, प्रधान टंकक, टंकक, उर्दू अधीक्षक (टंकक), प्रधान उर्दू टंकक, उर्दू टंकक, उर्दू चर्य्यालिपिक, वरीय विपत्र लिपिक एवं विपत्र लिपिक का पद धारण करने वाले सभी कर्मचारीवृन्द का पचास प्रतिशत निम्नवर्गीय लिपिक का तथा शेष पचास

प्रतिषत पद उच्चवर्गीय लिपिक का पद समझे जायेंगे, जब तक कि उच्चवर्गीय लिपिक की अधिशेष संख्या के कर्मियों की सेवानिवृति या प्रोन्नति न हो जाय । सेवा के स्वीकृत बल के पचास प्रतिषत से कम होने तक उच्चवर्गीय लिपिक में प्रोन्नति नहीं दी जायगी ।

(घ) लिपिक संवर्ग की आपसी वरीयता का निर्धारण राज्य सरकार के असैनिक सचिवालय के समरूप किया जायगा ।

(ड़) निम्नवर्गीय लिपिक एवं अन्य समूह-ग के पदों पर सीधी नियुक्ति के निमित आयोजित होने वाली सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा का विषय निम्न होंगेः-

01. हिन्दी, 02. सामान्य ज्ञान, 03. गणित एवं कम्प्यूटर टंकण जाँच परीक्षा

(iii) 01. निम्नवर्गीय लिपिक के 50 प्रतिशत पद पर सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता रखने वाले समूह 'घ' से भरे जायेंगे।

02.निम्नवर्गीय लिपिक की वरीयता सह योग्यता सूची के आधार पर उच्चवर्गीय लिपिक के पद पर प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा, जिनकी सेवा सम्पुष्ट हो तथा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं कालावधि पूरा कर चुके हो ।

03. (i) निम्नवर्गीय लिपिक में भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक होगी, कम्प्यूटर ज्ञान एवं हिन्दी टाईपिंग में कम से कम 35 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी टाईपिंग में कम से कम 40 शब्द प्रति मिनट की टाईपिंग गति अनिवार्य अहर्ता होगी ।

(ii) निम्नवर्गीय लिपिक के 50 प्रतिशत पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा का विषय निम्न होंगेः-

01.सामान्य हिन्दी, 02. सामान्य ज्ञान, 03. गणित

04. सुरक्षा प्रहरी (पुरुष एवं महिला) के 50 प्रतिशत पदों पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा एवं शारीरिक क्षमता परीक्षा के आधार पर स्नातक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले समूह 'घ' से भरे जायेंगे ।

05. (i) सहायक के 50 प्रतिशत पदों पर सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर उच्चवर्गीय लिपिक के पद पर पाँच वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण कर चुकने वाले स्नातक योग्यताधारी से भरे जायेंगे एवं संबंधित अभ्यर्थियों के विरुद्ध पूर्व से संसूचित कोई दण्ड प्रभावी न हो ।

(ii) सहायक के 50 प्रतिशत पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा का विषय निम्न होंगेः-

01. हिन्दी भाषा का ज्ञान, 02. अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, 03. सामान्य अध्ययन, 04. सामान्य विज्ञान, 05. गणित, 06. मानसिक क्षमता जाँच, 7. कम्पयूटर का मूलभूत ज्ञान

(च) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में न्यूनतम अहर्ता 40 प्रतिशत होगी ।

(छ) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा चयनित कर्मचारियों की वरीयता प्राप्तांक के आधार पर निर्धारित की जायगी ।

(iv)विभागीय परीक्षा- सहायक संवर्ग के सहायक के पद से प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु सभा सचिवालय द्वारा वर्ष में दो बार विभागीय परीक्षा आयोजित की जाएगी । इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए बिना साधारणतः कोई भी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति पाने का हकदार नहीं होगा ।

परीक्षा के विषय निम्न होंगे:-

प्रथम पत्र- झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय भर्ती एवं सेवा शर्ते नियमावली, झारखण्ड सेवा संहिता, पेंषन रूल्स, कोषागार संहिता, वित्तीय नियमावली ।

द्वितीय पत्र- हिन्दी टिप्पणी एवं प्रारूपण ।

तृतीय पत्र- भारत का संविधान, झारखण्ड विधान-सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम, सरकारी सेवक यात्रा भत्ता नियमावली, सदस्यों के वेतन एवं भत्ता नियमावली । प्रत्येक पत्र का पूर्णांक 100 होगा तथा उत्तिरीर्णांक प्रत्येक पत्र में पृथक-पृथक 40 अंक का होगा ।

6-**परिवीक्षा:-**

समूह-क के अतिरिक्त किसी भी श्रेणी में किसी स्थायी पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति दो वर्षो तक परिवीक्षाधीन रहेंगे ।

परन्तु अध्यक्ष, आदेष द्वारा यथेष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए उक्त आदेष से विनिर्दिष्ट किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि घटा या बढ़ा सकेंगे, परन्तु यह और भी कि सभा सचिवालय के किसी भी पद पर कार्यरत व्यक्ति की नियुक्ति अथवा प्रोन्नति की सम्पुष्टि अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा द्वारा की जाएगी ।

7- **वेतन एवं भत्ते**

(i) सचिवालय के प्रत्येक पद का वेतनमान वहीं होगा जो अनुसूची में प्रत्येक के

समक्ष दिया गया है। इन पदों को धारण करनेवाले ऐसे अन्य भत्तों के हकदार होंगे

जो राज्य सरकार असैनिक सचिवालय के विभागों में काम करने वाले समरूप

पंक्ति के कर्मचारियों को समय समय पर मंजूर करें।

परन्तु झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय के कर्मियों का वेतन तथा अनुषांगिक भत्ते तथा विधायी कार्य निष्पादन के लिए आवष्यक अन्य सुविधाओं का निर्णय "पद वर्ग समिति "द्वारा किया जाएगा ।

"पद वर्ग समिति "अध्यक्ष के आदेश से गठित की जाएगी, जिसमें सभापति सहित अधिकतम 9 सदस्य होंगे । झारखण्ड सरकार के वित्त मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, विधान-सभा की किसी भी एक वित्तीय समिति के सभापति, विधान-सभा के सचिव, सभा सचिवालय की प्रषासनिक शाखा के एक पदाधिकारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा सचिवालय कर्मचारीवृन्द में से एक प्रतिनिधि समिति के सदस्य होंगे । सभापति सहित समस्त सदस्यों का मनोनयन अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा । पद वर्ग समिति की उन अनुशंसाओं जिनसे किसी वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध बजट में निहित राषि के अतिरिक्त राशि के व्यय की स्थिति हो, के

कार्यान्वयन तथा आवष्यक बजटीय उपवन्ध के लिए राज्य सरकार के वित्त मंत्रालय को अध्यक्ष के आदेश से भेजे दिया जाएगा । अन्य अनुशंसाओं का कार्यान्वयन अध्यक्ष के आदेश से भेज दिया जाएगा । अन्य अनुशंसाओं का कार्यान्वयन अध्यक्ष के आदेश से सभा सचिवालय द्वारा किया जाएगा ।

(ii) विलोपित

(iii) सभा सचिवालय के कर्मचारीवृन्द को प्रतिमाह विधायी भत्ता के रूप में निम्न वर्गीकरण के आधार पर वेतन मद में विधायी भत्ता अनुमान्य होंगेः-

समूह क - 3,000 रु०
समूह ख - 2,500 रु०
समूह ग - 2,000 रु०
समूह घ - 1,000 रु०

विधायी भत्ता से प्राप्त राशि आयकर के दायरे में होगी । क्षतिपूरक अवकाश देय नहीं होगा । समय≤ पर वेतन पुनरीक्षण होने पर अथवा माननीय अध्यक्ष महोदय के विशेष आदेश से वर्णित राशि पुनरीक्षित किया जा सकेगा ।

8. **सेवा की अन्य शर्तें:**

(i) इस नियमावली में उल्लिखित सेवा शर्तो के अतिरिक्त आवश्यकता होने पर सेवा की अन्य शर्तें समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा पदवर्ग समिति की अनुषंसा पर तय की जाएगी ।

(ii) पद वर्ग समिति जब तक कोई पृथक अनुषंसा न कर दे सभा सचिवालय कर्मचारीवृन्द को वही सुविधायें उन शर्तों के अधीन प्राप्त होती रहेगी जो राज्य सरकार के असैनिक सचिवालय के समरूप कर्मचारीवृन्द को उसकी सेवा शर्तों के अधीन प्राप्त होती है ।

(iii) झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय के कर्मियों को प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान लागू है ।

9- **आपवादिक मामलों में शिथिलन:**

यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाय कि किसी पदाधिकारी की सेवा शर्तों के संबंध में कोई नियम का उपबंध करने से किसी खास व्यक्तियों को अनुचित क्लेश पहुँचाता हो तो वे पद वर्ग समिति से परामर्श करने तथा उनकी अनुषंसा के बाद आदेश द्वारा, किसी नियम या उपबंध की अपेक्षाओं को उस हद तक और उन शर्तों के अधीन रहते हुए अभिमुक्त या शिथिल कर सकेंगे, जो उस मामले को उचित और न्याय संगत ढंग से निबटाने के लिए आवश्यक समझा जाए।

10- **नियंत्रण और अनुशासन:-** सचिवालय के सभी पदाधिकारी अध्यक्ष के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन रहेंगे ।

11- **दण्ड:-** किसी पदाधिकारी को, ठीक और पर्याप्त कारणों से निम्न दण्ड दिये जा सकेंगे-

(i) निन्दन,

(ii) वेतन वृद्धि या प्रोन्नति रोक रखना,

(iii) निम्नतर पद पर या निम्नतर कालमान वेतन में या कालमान वेतन के निम्नतर प्रक्रम पर विच्युति,

(iv) उपेक्षा या आदेश भंग के चलते संघ या राज्य को हुई हानि का सम्पूर्ण या कोई भाग वेतन से वसूला जाना,

(v) आनुपातिक पेंशन पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति

(vi) सचिवालय की सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन आगे कोई नियोजन पाने में अयोग्य न बनाएगा,

(vii) सचिवालय की सेवा से बर्खास्तगी, जो साधारणतः सरकार के अधीन आगे नियोजन पाने आयोग्य बनाएगी ।

(viii) जुर्माना ।

(ix) निलम्बन ।

स्पष्टीकरण:-

(i) यदि परिवीक्षा-काल में या उसकी समाप्ति के बाद किसी पदाधिकारी का नियोजन समाप्त कर दिया जाय, तो यह इस नियम के अधीन नियोजन से हटाया जाना या बर्खास्तगी न समझा जाएगा ।

(2) यदि किसी पदाधिकारी के मामले पर यथावत् विचार करके उसे ऐसे पद पर या कोटि (ग्रेड) में जिसमें चयन द्वारा प्रोन्नति दी जाती हो, प्रोन्नत न किया जाए, तो यह इस नियम के अन्तर्गत प्रोन्नति को रोका जाना न समझा जाएगा ।

(3) यदि किसी पदाधिकारी को, जो किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से काम कर रहा हो, उच्चतर पद पर उसका काम देखने के बाद या प्रषासनिक कारणों से (जैसे उक्त पद के स्थायी धारी के छुट्टी या प्रतिनियुक्ति से लौटने और उपयुक्त पदाधिकारी उपलब्ध होने तथा ऐसे ही कारणों) निम्नतर पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाए, तो यह इस नियम के अन्तर्गत पंक्ति-च्युति न समझा जाएगा ।

(4) यदि किसी पदाधिकारी को (झारखण्ड सेवा-संहिता के नियम 74 के उपबन्धों के अधीन या वित्त विभाग, संकल्प संख्या- एफ०एल०-5021-62-452 एफ०, दिनांक 11 जनवरी, 1963 के अनुसार) अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति कर दिया जाए तो इस नियम के अन्तर्गत दण्ड न समझा जाएगा ।

(5) यदि विभागीय परीक्षाऐं पास न करने के चलते किसी पदाधिकारी की वेतनवृद्धि रोक दी जाए, तो इस नियम के अर्थान्तर्गत वेतनवृद्धि का रोका जाना न समझा जाएगा ।

(6) जुर्माने का दण्ड सिर्फ समूह-घ के कर्मचारियों को ही दिया जा सकेगा ।

12- **दण्ड देने वाला प्राधिकारी:-**

संविधान के अनुच्छेद -311 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष को उस पदाधिकारी को जिसके वे नियुक्ति प्राधिकारी हो, नियम-11 में विनिर्दिष्ट दण्ड देने की शक्ति होगी,

परन्तु अध्यक्ष सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सचिव या समूह-क या समूह-ख के किसी भी पदाधिकारी को, समूह-ग या समूह-घ के कर्मचारियों को उक्त दण्ड देने की शक्ति सौप सकेंगे।

13-**अपील:-**

(1) प्रत्येक पदाधिकारी को सचिव द्वारा मूलतः या अपील पर दिये गये किसी ऐसे आदेश के विरूद्ध अध्यक्ष के पास अपील करने का अधिकार होगा, जिसके द्वारा नियम-11 में विनिर्दिष्ट कोई दण्ड दिया या संपुष्ट किया गया हो, परन्तु जहाँ सचिव के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा मूलतः ऐसा आदेष दिया गया हो, वहाँ सचिव के पास ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील की जाएगी ।

(2) अध्यक्ष द्वारा मूलतः या अपील पर दिया गया आदेष अन्तिम होगा, परन्तु अध्यक्ष, स्वतः या आवेदन किये जाने पर इस नियम के अधीन दिये गये अपने किसी आदेश को पुनरीक्षित या विखंडित कर सकेंगे ।

14-**पदाधिकारियों का आचरण:-**

इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक पदाधिकारी ऐसे आचरण अनुशासन और नियंत्रण सम्बन्धी नियमों से शासित होंगे जो अध्यक्ष समय-समय पर समान्य या विषेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करेंगे ।

15-**अध्यक्ष द्वारा दिये गये आदेशों का अधिप्रमाणीकरण:-**

इस नियमावली के उपबंधों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिया गया और अध्यक्ष के नाम से निष्पादित कोई आदेश ऐसी रीति से अधिप्रमाणीकृत किया जाएगा, जो अध्यक्ष समय-समय पर समान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें ।

16-**कार्य-सम्पादन:-**

अध्यक्ष, समय-समय पर, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इस नियमावली के प्रचालन से अदभुत कार्यो के सुविधापूर्ण और कुशल संपादन के लिए और इस प्रयोजनार्थ अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में उपबन्ध कर सकेंगे । परन्तु ऐसे आदेष में वैसे विषय वर्ग भी विनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे जो आदेश निकाले जाने के पूर्व स्वयं अध्यक्ष की दृष्टि में लाए जाएगें।

17-**अवषिष्ट शक्तियाँ:-**

नियम 8 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसे सभी विषय जिनके सम्बन्ध में इस नियमावली में विनिर्दिष्टतः उपबन्ध नहीं किये गये हो, चाहे वे इस नियमावली के उपबन्धों के आनुषांगिक या सहायक हो अथवा अन्यथा हों अध्यक्ष द्वारा समय पर दिए जाने वाले आदेशों के अनुसार विनियमित होंगे ।

18-**निर्वचन:-**

इस नियमावली के निर्वचन सम्बनधी सभी प्रष्न अध्यक्ष को निर्दिष्ट किए जाऐंगे और उन पर वे जो निर्णय देंगे वह अंतिम होगा । परन्तु नियम 3, 7, 8, 9, 17 और अनुसूची तथा नियमावली के अधीन निकाले गये किसी आदेश के निर्वचन सम्बन्धी सभी प्रश्नों का निर्णय " पद वर्ग समिति " की अनुशंसा के आलोक में अथवा अन्य विहित रीतियों से जैसा वे उचित समझे अध्यक्ष करेंगे ।

19-**विखण्डन और व्यावृति:-**

इस नियमावली में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित स्थिति को छोड़, इस नियमावली के समरूप और इस नियमावली के प्रारम्भ से तुरंत पहले लागू सभी नियम इसके द्वारा विखंडित किये जाते है । परन्तु इस प्रकार विखंडित नियमों के अधीन दिया गया कोई आदेश या की गयी कोई कार्रवाई, इस नियमावली के समरूप उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गयी कार्रवाई मानी जाएगी ।

अनुसूची

क्रम सं०	संवर्ग	वर्तमान पद	वर्तमान पद			आवश्यकता आधरित पद	भर्ती एवं सेवा शर्ते नियामावली के अनुरूप भर्ती की पद्धति	योग्यता	अभियुक्ति	पदो का वर्गीकरण
		पे बैण्ड/वेतनमान/ग्रेड पे	कुल स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सहायक संवर्ग	सचिव PB-4 / 37400-67000 / 10000	1	0	1	1	*1 झारखण्ड न्यायिक सेवा के पदाधिकारी ।		*1. झारखण्ड न्यायिक सेवा के पदाधिकारी ग्रड-पे 10,000/- के पदास्थापन होने तक अपर सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी अपने वेतनमान /ग्रेड पे प्रभारी सचिव के रूप में कार्य करेंगे ।	समूह-क
2		अपर सचिव PB-4 / 37400-67000 / 8700	6	6	0	पद समाप्त			सभा सचिवालय के अधिसूचना सं०- 1366 दिनांक 3-6-2016 के आलोक में वर्तमान पदधारी के सेवानिवृति के पश्चात पद समाप्त	समूह-क
3		संयुक्त सचिव PB-4 / 37400-67000 / 8700	21	20	1	12	उप सचिव से प्रोन्नति		कार्यरत पदों की संख्या वर्तमान पदधारी की सेवानिवृति अथवा प्रोन्नति के पश्चात क्रमश: आवश्यकता आधारित पद संख्या तक स्वत: सीमित होंगे ।	समूह-क
4		उप सचिव PB-3 /15600-39100/7600	24	15	9	18	अवर सचिव से प्रोन्नति		कार्यरत पदों की संख्या वर्तमान पदधारी की सेवानिवृति अथवा प्रोन्नति के पश्चात क्रमश: आवश्यकता आधारित पद संख्या तक स्वत:	समूह-क

									सीमित होंगे ।	
5		अवर सचिव PB-3 / 15600-39100 / 6600	32	22	10	25	प्रशाखा पदा० से प्रोन्नति		25 पद यथावत 7 रिक्त पद तत्काल प्रभाव से समाप्त	समूह-क
6		प्रशाखा पदाधिकारी PB-2 / 9300-34800 / 4800	75	75	0	50	सहायक से प्रोन्नति		कार्यरत पदों की संख्या वर्तमान पदधारी की सेवानिवृति अथवा प्रोन्नति के पश्चात क्रमश:आवश्यकता आधारित पद संख्या तक स्वत: सीमित होंगे ।	समूह-ख
7		सहायक PB-2 / 9300-34800 / 4600	150	73	77	100	50% उच्चवर्गीय लिपिक से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 50% सीधी भर्ती द्वारा		100 पद यथावत 50 रिक्त पद तत्काल प्रभाव से समाप्त	समूह-ग
8		उच्चवर्गीय लिपिक PB-1 / 5200-20200 / 2400				45	निम्नवर्गीय लिपिक से प्रोन्नति			समूह-ग
9		निम्नवर्गीय लिपिक PB-1 / 5200-20200 / 1900				45	50% समूह घ से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 50% सीधी भर्ती द्वारा			समूह-ग

नोट : *1 - राज्यपाल सचिवालय का पत्रांक- वैधा-126/2004-1159/रा०स०, रांची, दिनांक 13 अप्रैल, 2017 की कंडिका- 1

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा, रांची

10	प्रतिवेदन संवर्ग	मुख्य प्रतिवेदक PB-3/15600-39100/7600	1	1	0	1	वरीय प्रतिवेदक से प्रोन्नति द्वारा			समूह-क
11		निदेशक (प्रतिवेदक) PB-3/15600-39100/7600	1	1	0	पद समाप्त			सभा सचिवालय के अधिसूचना सं०- 1366 दिनांक 3-6-2016 के आलोक में वर्तमान पदधारी के सेवानिवृति के उपरांत पद स्वत: समाप्त।	समूह-क
12		वरीय प्रतिवेदक PB-3/15600-39100/6600	6	6	0	6	प्रतिवेदक से प्रोन्नति			समूह-क
13		प्रतिवेदक PB-2/9300-34800/4800	30	23	7	23	सीधी भर्ती द्वारा		23 पद यथावत 7 रिक्त पद तत्काल प्रभाव से समाप्त	समूह-ख
14		कार्यवाही सहायक PB-2/9300-34800/4200	2	0	2	पद समाप्त				
15	निजी सहायक संवर्ग	प्रधान आप्त सचिव PB-3/15600-39100/6600				2	आप्त सचिव से प्रोन्नति द्वारा			समूह-क
16		आप्त सचिव PB-2/9300-34800/4800	10	10	0	3	निजी सहायक से प्रोन्नति द्वारा		कार्यरत पदों की संख्या वर्तमान पदधारी की सेवानिवृति अथवा प्रोन्नति के पश्चात क्रमश: आवश्यकता आधारित पद संख्या तक स्वत: सीमित होंगे ।	समूह-ख
17		वरीय निजी सहायक	पद समाप्त	पद समाप्त	पद समाप्त	पद समाप्त				पद समाप्त
18		निजी सहायक PB-2/9300-34800/4600	16	9	7	15	सीधी भर्ती द्वारा			समूह-ग
19		आशुलिपिक PB-1/5200-20200/2400	20	0	20	पद समाप्त				
20	सुरक्षा संवर्ग	चीफ मार्शल PB-3/15600-39100/6600	1	0	1	1			सेना अथवा पुलिस प्रशासन के रिटायर्ड अधिकारी को सिर्फ वाह्य स्रोत अथवा संविदा के आधार नियुक्त	समूह-क

21		मार्शल PB-2/9300-34800/4600	8	6	2	2	सहायक मार्शल से प्रोन्नति		कार्यरत पदों की संख्या वर्तमान पदधारी की सेवानिवृति अथवा प्रोन्नति के पश्चात क्रमश: आवश्यकता आधारित पद संख्या तक स्वत: सीमित होंगे ।	समूह-ग
22		सहायक मार्शल PB-2/9300-34800/4200	8	7	1	3	सुरक्षा प्रहरी से प्रोन्नति		कार्यरत पदों की संख्या वर्तमान पदधारी की सेवानिवृति अथवा प्रोन्नति के पश्चात क्रमश: आवश्यकता आधारित पद संख्या तक स्वत: सीमित होंगे ।	समूह-ग
23		सुरक्षा प्रहरी (पु०) PB-1/5200-20200/1900	25	6	19	15	50% समूह घ से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 50% सीधी भर्ती द्वारा		15 पद यथावत 10 रिक्त पद तत्काल प्रभाव से समाप्त ।	समूह-ग
24	सुरक्षा संवर्ग (महिला)	महिला सहायक मार्शल PB-2/9300-34800/4200	5	5	0	1	महिला सुरक्षा प्रहरी से प्रोन्नति		कार्यरत पदों की संख्या वर्तमान पदधारी की सेवानिवृति अथवा प्रोन्नति के पश्चात क्रमश: आवश्यकता आधारित पद संख्या तक स्वत: सीमित होंगे ।	समूह-ग
25		प्रधान महिला सुरक्षा प्रहरी (म०) PB-1/5200-20200/2400			पद समाप्त	पद समाप्त				
26		सुरक्षा प्रहरी (म०) PB-1/5200-20200/1900	10	7	3	5	50% समूह घ से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 50% सीधी भर्ती द्वारा		कार्यरत पदों की संख्या वर्तमान पदधारी की सेवानिवृति अथवा प्रोन्नति के पश्चात क्रमश: आवश्यकता आधारित पद संख्या तक स्वत: सीमित होंगे ।	समूह-ग
27	चर्यालिपिक संवर्ग	उप मुख्य अधी० (प्रेषण) PB-2/9300-34800/4800	1	1	0				सभा सचिवालय के अधिसूचना सं०- 1366 दिनांक 3-6-2016 के आलोक में वर्तमान पदधारी के सेवानिवृति के पश्चाम पद समाप्त	समूह-ख
28		अधीक्षक PB-2/9300-34800/4600	2	2	0				वर्तमान पदधारी के संवानिवृति के पश्चात पद स्वत: लिपिकीय	समूह-ग

									संवर्ग में समाहित	
29		उपाधीक्षक PB-2/9300-34800/4200	4	4	0	LDC/ UDC				
30		चर्या लिपिक PB-1/5200-20200/2400	20	16	4	LDC/ UDC				
31	टंकण संवर्ग	उप मुख्य अधी०(टंकक) PB-2/9300-34800/4800	2	1	0	1			सभा सचिवालय के अधिसूचना सं०- 1366 दिनांक 3-6-2016 के आलोक में वर्तमान दो पदधारी के सेवानिवृति के पश्चात पद स्वत: समाप्त	समूह-ख
32		अधीक्षक PB-2/9300-34800/4600	4	4	0				वर्तमान पदधारी के संवानिवृति के पश्चात पद स्वत: लिपिकीय संवर्ग में समाहित	समूह-ग
33		प्रधान टंकक PB-2/9300-34800/4200	6	6	0	LDC/ UDC				
34		टंकक PB-1/5200-20200/2400	30	20	10	LDC/ UDC				
35	उर्दू टंकण संवर्ग	उर्दू अधीक्षक (टंकक) PB-2/9300-34800/4200	1	1	0	LDC/ UDC				
36		प्रधान उर्दू टंकक PB-2/9300-34800/4200	2	1	1	LDC/ UDC				
37		उर्दू टंकक PB-1/5200-20200/2400	2	1	1	LDC/ UDC				
38	पुस्तकालय संवर्ग	मुख्य अधी० (पुस्त०) PB-3/15600-39100/6600	1	1	0	पद समाप्त			सभा सचिवालय के अधिसूचना सं०- 1366 दिनांक 3-6-2016 के आलोक में वर्तमान पदधारी के सेवानिवृति के पश्चात पद समाप्त	समूह-क

39	पुस्तकालय संवर्ग	अधीक्षक PB-2/9300-34800/4800	2	2	0	1	शोध सहायक सह सूचीकार से प्रोन्नति	सभा सचिवालय के अधिसूचना सं०- 1366 दिनांक 3-6-2016 के आलोक में लोकसभा/ राज्यसभा के समतुल्य शोध सहायक पद के अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता पूर्ण होने पर अधीक्षक पद का ग्रेड पे 4800 रू अन्यथा 4600 रू०।	कार्यरत पदों की संख्या वर्तमान पदधारी की सेवानिवृति अथवा प्रोन्नति के पश्चात क्रमश: आवश्यकता आधारित पद संख्या तक स्वत: सीमित होंगे ।	समूह-ख
40		सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	पद समाप्त	पद समाप्त	पद समाप्त	पद समाप्त				पद समाप्त
41		सूचीकार	पद समाप्त	पद समाप्त	पद समाप्त	पद समाप्त				पद समाप्त
42		अधीक्षक (शोध)	पद समाप्त	पद समाप्त	पद समाप्त	पद समाप्त				पद समाप्त
43		शोध सहायक सह सूचीकार PB-2/9300-34800/4600	6	5	1	4	सीधी भर्ती द्वारा	सभा सचिवालय के अधिसूचना सं०- 1366 दिनांक 3-6-2016 के आलोक में लोकसभा/ राज्यसभा के समतुल्य शोध सहायक सह सूचीकार पद के अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता पूर्ण होने पर शोध सहायक सह सूचीकार पद का ग्रेड पे 4600 रू अन्यथा 4200 रू० अनुमान्य।	कार्यरत पदों की संख्या वर्तमान पदधारी की सेवानिवृति अथवा प्रोन्नति के पश्चात क्रमश: आवश्यकता आधारित पद संख्या तक स्वत: सीमित होंगे ।	समूह-ग

44		पुस्तकालय अनुचर PB-1/5200-20200/1800 (मैट्रिक), 1S/4440-7440/1650 (नन मैट्रिक)	4	4	0	2	सीधी भर्ती द्वारा		कार्यरत पदों की संख्या वर्तमान पदधारी की सेवानिवृति अथवा प्रोन्नति के पश्चात क्रमश: आवश्यकता आधारित पद संख्या तक स्वत: सीमित होंगे ।	समूह-घ
45	जनसंपर्क संवर्ग	जनसंपर्क अधिकारी PB-2/9300-34800/4800	1	1	1	1	सीधी भर्ती द्वारा			समूह-ख
46		सहायक जनसंपर्क अधिकारी PB-2/9300-34800/4200	2	0	2	पद समाप्त				
47	प्रकाशन संवर्ग	वाद-विवाद संपा० (प्रकाशन) PB-2/9300-34800/4200	2	0	2	पद समाप्त				
48		प्रकाशन सहायक PB-2/9300-34800/4200	2	1	1	पद समाप्त			कार्यरत पदों की संख्या वर्तमान पदधारी की सेवानिवृति अथवा प्रोन्नति के पश्चात क्रमश: आवश्यकता आधारित पद संख्या तक स्वत: सीमित होंगे ।	समूह-ग
49		प्रूफ रीडर PB-1/5200-20200/2400	2	2	0	2	सीधी भर्ती द्वारा			समूह-ग
50	अवधायक संवर्ग	पर्यवेक्षक (अवधायक) PB-2/9300-34800/4600	2	2	0	1	अवधायक से प्रोन्नति द्वारा		कार्यरत पदों की संख्या वर्तमान पदधारी की सेवानिवृति अथवा प्रोन्नति के पश्चात क्रमश: आवश्यकता आधारित पद संख्या तक स्वत: सीमित होंगे ।	समूह-ग
51		अवधायक PB-2/9300-34800/4200	4	4	0	2	सहायक अवधायक से प्रोन्नति द्वारा		कार्यरत पदों की संख्या वर्तमान पदधारी की सेवानिवृति अथवा प्रोन्नति के पश्चात क्रमश: आवश्यकता आधारित पद संख्या तक स्वत: सीमित होंगे ।	समूह-ग
52		सहायक अवधायक PB-1/5200-20200/2400	6	1	5	2	सीधी भर्ती द्वारा		कार्यरत पदों की संख्या वर्तमान पदधारी की सेवानिवृति अथवा प्रोन्नति के पश्चात क्रमश: आवश्यकता आधारित पद संख्या	समूह-ग

									तक स्वत: सीमित होंगे ।	
53		दरबान PB-1/5200-20200/1800 (मैट्रिक), 1S/4440-7440/1650 (नन मैट्रिक)	15	15	0	10	सीधी भर्ती द्वारा		कार्यरत पदों की संख्या वर्तमान पदधारी की सेवानिवृति अथवा प्रोन्नति के पश्चात क्रमश: आवश्यकता आधारित पद संख्या तक स्वत: सीमित होंगे ।	समूह-घ
54		फर्राश PB-1/5200-20200/1800 (मैट्रिक), 1S/4440-7440/1650 (नन मैट्रिक)	35	35	0	20	सीधी भर्ती द्वारा		कार्यरत पदों की संख्या वर्तमान पदधारी की सेवानिवृति अथवा प्रोन्नति के पश्चात क्रमश: आवश्यकता आधारित पद संख्या तक स्वत: सीमित होंगे ।	समूह-घ
55		मेहतर PB-1/5200-20200/1800 (मैट्रिक), 1S/4440-7440/1650 (नन मैट्रिक)	35	32	3	20	सीघी भर्ती द्वारा		कार्यरत पदों की संख्या वर्तमान पदधारी की सेवानिवृति अथवा प्रोन्नति के पश्चात क्रमश: आवश्यकता आधारित पद संख्या तक स्वत: सीमित होंगे ।	समूह-घ
56	चालक संवर्ग	वरीय वाहन पर्य० PB-2/9300-34800/4200	1	1	0		पद समाप्त			
57		वाहन पर्यवेक्षक PB-1/5200-20200/2400	5	5	0		पद समाप्त			
58		चालक (कार्यालय) PB-1/5200-20200/1900	40	40	0		पद समाप्त			
60		चालक (समिति)	पद समाप्त	पद समाप्त	पद समाप्त	पद समाप्त	पद समाप्त			पद समाप्त
61		विशेष कोटी (चालक) PB-2/9300-34800/4200				1	कोटी 1 से प्रोन्नति			समूह-ग
62		कोटी 1 (चालक) PB-1/5200-20200/2400				6	कोटी 2 से प्रोन्नति			समूह-ग

63		कोटी 2 (चालक) PB-1/5200-20200/2000				8	साधारण कोटी से प्रोन्नति			समूह-ग
64		साधारण कोटी (चालक) PB-1/5200-20200/1900				15	सीधी भर्ती द्वारा			समूह-ग
65	उद्यान संवर्ग	पर्यवेक्षक (उधान) PB-2/9300-34800/4200 PB-1/5200-20200/2800	1	1	0	1	कृषि विश्वविद्यालय से तकनीकी स्नातक एवं न्यूनतम तीन वर्षो के अनुभव के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा	शैक्षणिक योग्यता स्नातक (कृषि) एवं स्नातक (वाणिकी) धारित करने पर ग्रेड पे 4200 अथवा ग्रेड पे 2800 अनुमान्य ।		समूह-ग
66		माली PB-1/5200-20200/1800 (मैट्रिक), 1S/4440-7440/1650 (नन मैट्रिक)	20	20	0	10	सीधी भर्ती द्वारा		कार्यरत पदों की संख्या वर्तमान पदधारी की सेवानिवृति अथवा प्रोन्नति के पश्चात क्रमश: आवश्यकता आधारित पद संख्या तक स्वत: सीमित होंगे ।	समूह-घ
67	उर्दू शाखा संवर्ग	प्रशाखा पदा०(उर्दू) PB-2/9300-34800/4600	1	1	0	पद समाप्त			वर्तमान पदधारी के सेवानिवृति के पश्चात स्वत: समाप्त	समूह-ग
68		उर्दू सहायक PB-2/9300-34800/4200	4	3	1	2	सीधी भर्ती द्वारा		कार्यरत पदों की संख्या वर्तमान पदधारी की सेवानिवृति अथवा प्रोन्नति के पश्चात क्रमश: आवश्यकता आधारित पद संख्या तक स्वत: सीमित होंगे ।	समूह-ग
69		उर्दू अनुवादक PB-1/5200-20200/2400	2	1	1	2	सीधी भर्ती द्वारा			समूह-ग
70		उर्दू चर्यालिपिक PB-1/5200-20200/2400	2	1	1	LDC/ UDC				
71		अनुसेवक (उर्दू) PB-1/5200-20200/1800 (मैट्रिक), 1S/4440-7440/1650 (नन मैट्रिक)	1	0	1	पद समाप्त				
72		कम्पयूटर ऑप० (उर्दू) PB-1/5200-20200/2400	1	0	1	पद समाप्त				

73	कम्प्यूटर ऑप० शाखा	कम्पयूटर ऑप० PB-1/5200-20200/2400	6	0	6	पद समाप्त				
74	विपत्र लिपिक संवर्ग	वरीय विपत्र लिपिक PB-2/9300-34800/4200	4	4	0	LDC/ UDC				
75		विपत्र लिपिक PB-1/5200-20200/2400	15	11	4	LDC/ UDC				
76		ध्वनी नियंत्रक PB-1/5200-20200/2400	2	2	0	2	सीधी भर्ती द्वारा			समूह-ग
77		गेसटेटनर ऑपरेटर PB-1/5200-20200/2400	2	2	0	2	सीधी भर्ती द्वारा			समूह-ग
78		फोटो-स्टेट मशीन ऑप० PB-1/5200-20200/2400	2	2	0	2	सीधी भर्ती द्वारा			समूह-ग
79		फैक्स ऑपरेटर PB-1/5200-20200/2400	2	1	1	2	सीधी भर्ती द्वारा			समूह-ग
80	ट्रेजरी सरकार संवर्ग	वरीय ट्रेजरी सरकार PB-1/5200-20200/2400	1	1	0	1	ट्रेजरी सरकार से प्रोन्नति			समूह-ग
81		ट्रेजरी सरकार PB-1/5200-20200/1800	2	1	1	1	प्रोन्नति द्वारा		1 पद यथावत,1 रिक्त पद तत्काल प्रभाव से समाप्त	समूह-घ
82		दफ्तरी PB-1/5200-20200/1800	4	3	1	4	50% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 50% सीधी भर्ती द्वारा			समूह-घ
83		अभिलेखवाह PB-1/4440-7440/1800	2	2	0	2	50% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 50% सीधी भर्ती द्वारा			समूह-घ
84		जमादार PB-1/4440-7440/1800	2	2	0	2	50% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 50% सीधी भर्ती द्वारा			समूह-घ
85		आदेशवाहक अनुसेवक(कार्यालय)	पद समाप्त	पद समाप्त	पद समाप्त	पद समाप्त				पद समाप्त

86		आदेशवाहक अनुसेवक(समिति)	पद समाप्त	पद समाप्त	पद समाप्त	पद समाप्त				पद समाप्त
87		अनुसेवक PB-1/5200-20200/1800 (मैट्रिक), 1S/4440-7440/1650 (नन मैट्रिक)	151	148	3	75	सीधी भर्ती द्वारा		कार्यरत पदों की संख्या वर्तमान पदधारी की सेवानिवृति अथवा प्रोन्नति के पश्चात क्रमश: आवश्यकता आधारित पद संख्या तक स्वत: सीमित होंगे ।	समूह-घ
88		कुक PB-1/5200-20200/1800 (मैट्रिक), 1S/4440-7440/1650 (नन मैट्रिक)	4	2	2	4				समूह-घ
	नोट :- 1- कॉलम सं० 4 में दर्शाए गए कुल स्वीकृत पद एवं कॉलम सं० 5 में दर्शाए गए कार्यरत पद समीक्षोपरांत कॉलम सं० 7 में दर्शाए गए आवश्यकता आधारित पद सं० तक निर्धारित किए जाते है ।									

2- - राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक- वैधा-126/2004-1159/रा०स०, रांची, दिनांक 13 अप्रैल, 2017 के अलोक में समूह घ के पदों पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता मेट्रिक उत्रीर्ण आवश्यक होगी ।

बिनय कुमार सिंह,

प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा, रांची

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

18 मई, 2017 ई० |

संख्या-सी०पी०ए०- 03/2017- 1118 /वि०स०-- राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ के नियमावली-2001 के कंडिका-13 के तहत राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ, झारखण्ड शाखा के कार्यकारिणी समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

1.	श्री दिनेश उराँव, अध्यक्ष झारखण्ड विधान सभा	स०वि०स०	सभापति
2.	श्री रघुवर दास, मुख्यमंत्री, झारखण्ड सरकार,	स०वि०स०	उप सभापति
3.	श्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान सभा	स०वि०स०	उप सभापति
4.	श्री आलमगीर आलम	स०वि०स०	सदस्य
5.	श्री प्रदीप यादव	स०वि०स०	सदस्य
6.	श्री अरूप चटर्जी	स०वि०स०	सदस्य
7.	श्री नलिन सोरेन	स०वि०स०	सदस्य
8.	श्रीमती गीता कोड़ा	स०वि०स०	सदस्य
9.	श्री बिरंची नारायण	स०वि०स०	सदस्य
10.	श्री कुणाल षड़ंगी	स०वि०स०	सदस्य

इस समिति का कार्यकाल नयी कार्यकारिणी समिति के गठन की अधिसूचना निर्गत होने के तिथि तक होगा |

माननीय अध्यक्ष,झारखण्ड विधान सभा-सह-सभापति,
सी०पी०ए०,झारखण्ड शाखा के आदेश से,

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,झारखण्ड विधान सभा-सह-
सचिव,सी०पी०ए०,झारखण्ड शाखा |

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

13 मई, 2015

कृपया पढ़ें:-

1. उपायुक्त, देवघर का पत्रांक- 2389, दिनांक 22 दिसम्बर, 2008 एवं पत्रांक-1568, दिनांक 3 सितम्बर, 2009

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-1996, दिनांक 26 मार्च, 2009, पत्रांक-3674, दिनांक 2 जून, 2009, पत्रांक-6100, दिनांक 5 सितम्बर, 2009, पत्रांक-2729, दिनांक 12 मई, 2010, पत्रांक-3456, दिनांक 5 अप्रैल, 2013, पत्रांक-5669, दिनांक 28 जून, 2013 एवं पत्रांक-7321, दिनांक 12 अगस्त, 2013, संकल्प सं०-1883, दिनांक 9 अप्रैल, 2011, संकल्प सं०-6500, दिनांक 19 मई, 2012 तथा संकल्प सं०-11258, दिनांक 22 नवम्बर, 2013

3. ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा पत्रांक-4672, दिनांक 6 जुलाई, 2010

4. श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी का पत्रांक-41, दिनांक 31 जनवरी, 2013

संख्या- 5/आरोप-1-909/2014 का.-4279/श्री (डा.) ज्योति कुमार सिंह, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक 890/03, प्रथम बैच, गृह जिला- धनबाद), कार्यपालक दण्डाधिकारी, देवघर के विरूद्ध प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोहनपुर, देवघर के विरूद्ध उपायुक्त, देवघर के पत्रांक- 2389, दिनांक 22 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रपत्र- 'क' मे आरोप विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-723, दिनांक 30 जनवरी, 2009 के माध्यम से प्राप्त है । प्रपत्र- 'क' में इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गये हैः-

1. दिनांक 24 अप्रैल, 2008 को नरेगा योजना अन्तर्गत जॉब कार्डधारी मजदूरों को काम के एवज में राशि नहीं मिलने के कारण प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोहनपुन की अनुपस्थिति से क्षुब्ध होकर ग्रामीणों द्वारा प्रखण्ड कार्यालय, मोहनपुर 12:00 बजे पूर्वाहन् में तालाबंदी कर दी गई । सरकारी निदेशों के बावजूद इनके द्वारा मुख्यालय में आवासन नहीं किया जाता था, जिसके कारण सरकारी मंशा के अनुरूप आम जनता को स्वच्छ, सचेत एवं जिम्मेवार प्रशासन का लाभ नहीं मिल पाता था तथा जिले

में कार्य संस्कृति समुन्नत एवं जनता की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली रूप से समाधान सुनिश्चित् करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था ।

2. नरेगा योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष, 2007-08 में कुल स्वीकृत 2203 योजनाओं में से 1343 योजना पर ही आरोपी पदाधिकारी द्वारा कार्य का आरम्भ किया गया एवं शेष 860 योजना पर कार्य प्रारम्भ ही नहीं किया गया । अनके स्मार के बावजूद इनके द्वारा वित्तीय वर्ष, 2008-09 की नरेगा योजना अन्तर्गत वार्षिक कार्यकारी योजना समर्पित नहीं किया गया ।

3. इनके द्वारा नरेगा से संबंधित विहित प्रपत्र में मासिक प्रतिवेदन स्मारित किये जाने के बाद भी नहीं भेजा गया ।

4. इनके द्वारा नरेगा योजनाओं का नियमित पर्यवेक्षण एवं सत्यापन नहीं किया जाता था एवं इनके कार्यान्वयन में इनकी भूमिका नकारात्मक एवं असहयोगात्मक थी ।

5. वर्ष, 2008-09 में इंदिरा आवास (नव निर्माण एवं उन्नयन) का भौतिक लक्ष्य उपलब्ध कराते हुए निदेश दिया गया था कि मार्गदर्शिका एवं जिला स्तर पर निर्गत निर्देशों के अनुरूप इंदिरा आवास के योग्य लाभुकों का दिनांक 16 मई, 2008 तक हर हालत में करते हुए एकरारनामा कर प्रथम किस्त की राशि विमुक्त किया जाय तथा दिनांक 17 मई, 2008 तक उपायुक्त, देवघर को अनुपालन प्रतिवेदन भेजा जाय, परन्तु चार माह की अवधि बीतने के बाद भी इनके द्वारा अनुपालन नहीं किया गया। दिनांक 2 जुलाई, 2008 को सम्पन्न जिला समन्वय समिति की बैठक में भी इनकी प्रगति शून्य रहने के कारण आवश्यक निदेश दिया गया था, परन्तु माह जुलाई के प्रतिवेदन में भी इनकी प्रगति शून्य रही । इनके द्वारा योजनाओं का मासिक प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया जाता था। मोहनपुन प्रखण्ड कार्यालय के निरीक्षण के क्रम में ये अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये, जिसके कारण सरकारी कार्य में व्यवधान उत्पन्न हुआ ।

6. मोहनपुर प्रखण्ड में इंदिरा आवास योजना के वर्ष, 2007-08 की राशि पंचायत सेवकों को अग्रिम के रूप में दे दिया गया, जो पंचायत सेवकों के निजी खातों में लंबित पड़ा रहा । इसके कारण योजनाएँ अधूरी एवं लबित पड़ी रहीं एवं इसका लाभ लाभुकों को आरोपी पदा० की लापरवाही एवं मनमानेपन के कारण नहीं मिला ।

7. मोहनपुर प्रखण्ड के जमुनिया पंचायत के अन्तर्गत नावाकुरा में नरेगा के तहत् कार्यान्वित की जा रही सिंचाई कूप योजना में कार्यरत मजदूरों को योजना का कार्य 10 फीट ब्यास एवं 30 फीट की गहराई किये जाने के बावजूद मजदूरों के नाम से न तो खाता खोला गया और न ही मजदूरी को भुगतान सुनिश्चित् किया गया, जिसके कारण मजदूरों के समक्ष आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई।

स्थलीय जाँच के क्रम में इसमें बिचैलिए परशुराम यादव एवं कामदेव यादव की भूमिका प्रकाश में आई। योजना के मस्टर रोल में फर्जी तरीके से कुछ हाजिरी बना दी गई थी, जिसमें अध्ययनरत छात्र का नाम अंकित था । जाँच के क्रम में आरोपी पदा० द्वारा जाँच पदा० को योजना से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया, जो सरकारी कार्य में इनके असहयोगात्मक रवैये का परिचायक है ।

8. मोहनपुर प्रखण्ड के पंचायत भिखना एवं हरकट्टा में नरेगा के तहत् कार्यान्वित निम्न योजनाओं की जाँच के दौरान भिखना सिंचाई कूप निर्माण योजना सं०-04/07-08, भिखना तालाब निर्माण योजना सं०-03/07-08 तथा देवघर-सारवाँ मुख्य पथ से कर्णकोल ग्राम तक मिट्टी मोरम सड़क निर्माण योजना सं०-06/07-08 बंद पायी गयी एवं इनके कार्यान्वयन में गंभीर अनियमितता बरतने तथा मजदूरों की मजदूरी बिचैलियों द्वारा हड़प लिये जाने की बात प्रकाश में आई । इस प्रकार आरोपी पदाधिकारी द्वारा योजना के कार्यान्वयन में उदासीनता बरती गई एवं ससमय इनका निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण नहीं किया गया । श्री सिंह का यह आचरण अपने कार्य के प्रति लापरवही, दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता तथा कर्तव्यों के निर्वहन में अक्षमता को दर्शाता है ।

उक्त आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक-1996, दिनांक 26 मार्च, 2009 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की माँग की गई । इसके अनुपालन में श्री सिंह द्वारा अपना स्पष्टीकरण पत्र दिनांक 7 अप्रैल, 2009 द्वारा समर्पित किया गया । इनके स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-3674, दिनांक 2 जून, 2009 द्वारा उपायुक्त, देवघर से मंतव्य की माँग की गई। तत्पश्चात् पत्रांक-6100, दिनांक 5 सितम्बर, 2009 द्वारा स्मारित किया गया ।

उपायुक्त, देवघर के पत्रांक-1568, दिनांक 3 सितम्बर, 2009 द्वारा श्री सिंह के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु अनुशंसा किया गया । इसके आलोक में विभागीय पत्रांक-2729, दिनांक 12 मई, 2010 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड से मंतव्य की माँग की गई । विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा पत्रांक-4672, दिनांक 6 जुलाई, 2010 द्वारा उपायुक्त, देवघर के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा की गयी ।

श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उपायुक्त, देवघर के मंतव्य तथा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प सं०-1883, दिनांक 9 अप्रैल, 2011 द्वारा इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-55 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु निर्णय लिया गया तथा श्री विष्णु कुमार, भा०प्र०से०, प्रधान सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । तत्पश्चात् विभागीय कार्यवाही के त्वरित निष्पादन हेतु श्री विष्णु कुमार, भा०प्र०से० के स्थान पर श्री अशोक कुमार सिन्हा, भा०प्र०से० (सेवानिवृत), विभागीय जाँच

पदाधिकारी, झारखण्ड को विभागीय संकल्प सं०-6500, दिनांक 19 मई, 2012 द्वारा संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

श्री अशोक कुमार सिन्हा, भा०प्र०से० (सेवानिवृत), संचालन पदाधिकारी-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित कर जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-41, दिनांक 31 जनवरी, 2013 द्वारा समर्पित किया गया है । जाँच प्रतिवेदन में आरोप सं०-1, 2, 5, 6, 7 एवं 8 प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है तथा आरोप सं०-3 एवं 4 के प्रसंग में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री सिंह को संदेह का लाभ दिया गया है ।

श्री सिंह के विरूद्ध प्राप्त आरोप एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई । समीक्षोपरान्त श्री सिंह के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए इनकी तीन वेतनवृद्धियाँ संचायात्मक प्रभाव से रोकने के साथ-साथ निन्दन का दण्ड इन पर अधिरोपित करने हेतु प्रस्तावित किया गया । तद्नुसार विभागीय पत्रांक-3456, दिनांक 25 अप्रैल, 2013 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। तत्पश्चात् पत्रांक-5669, दिनांक 28 जून, 2013 एवं पत्रांक-7321, दिनांक 12 अगस्त, 2013 द्वारा इसके लिए स्मारित किया गया ।

श्री सिंह द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब अपने पत्रांक-31, दिनांक 20 अगस्त, 2013 द्वारा समर्पित किया गया है । इनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में कोई ऐसा नया तथ्य समर्पित नहीं किया गया है, जिसके आलोक में प्रस्तावित दण्ड पर पुनर्विचार किया जा सके । अतः श्री सिंह के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं०-11258, दिनांक 22 नवम्बर, 2013 द्वारा इनकी **तीन वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकने के साथ-साथ निन्दन का दण्ड** इनपर अधिरोपित किया गया ।

राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-529, दिनांक 10 मार्च, 2014 के माध्यम से श्री सिंह का अपील अभ्यावेदन विभाग को प्राप्त हुआ । श्री सिंह ने अपने अपील अभ्यावेदन में ऐसा कोई तथ्य समर्पित नहीं किया है जिस पर पूर्व में दण्ड अधिरोपित किये जाने के समय में विचार नहीं किया गया हो । अतः श्री सिंह के अपील अभ्यावेदन को निरस्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रमोद कुमार तिवारी,
सरकार के उप सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (साधारण) 15--50 ।